

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 127 / 2024

दायर दिनांक-10.07.2024

1. मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड नगर ब्यावर जरिये अधिकृत एवं पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नरेश पुत्र हरिकरण, जाति जाट, वरिष्ठ अधिकारी (भूमि अवाप्ति), निवासी नवलगढ़, जिला-झुंझुनू (राज.)।

- आवेदक

- :: बनाम ::-

1. ओमप्रकाश पुत्र श्योकरण
2. जवाहरलाल पुत्र श्योकरण
3. परमेश्वरलाल पुत्र श्योकरण
4. मूलचंद पुत्र श्योकरण
5. झिमकोरी देवी पत्नी श्योकरण

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम देवगांव, तहसील नवलगढ़, जिला-झुंझुनू (राज.)।

वकील आवेदक :- श्री चंद्रकांत शर्मा
वकील अनावेदकगण :- श्री विप्लव पंडित

-अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

-:: आदेश ::-

दिनांक 09.12.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :-

ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 1.8100 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.4600 हैक्टर खसरा नम्बर 147 रकबा 0.5700 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.3400 हैक्टर स्थित है। जिसे आगे प्रार्थना-पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। विवादित भूमि को आवेदक श्री सीमेंट लिमिटेड को राजस्थान सरकार के खान ग्रुप -2 विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प. 2 (113) खान /ग्रुप -2/2007 दिनांक 12/04/2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा एम. एल. नम्बर 47/2007 वास्ते खनिज लाइमस्टोन ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ में आवंटित कि गई है जो खनन पट्टा लीज डीड दिनांक 18/04/2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया है तथा उक्त भूमि कि किस्म कृषि भूमि नहीं रही है, उक्त भूमि माइनिंग लीज की खनन की भूमि हो गई है। विवादित भूमि में खातेदार कमल पुत्र रामचंद्र का 1/8 हिस्सा अर्थात 0.6675 हैक्टर भूमि थी, जिसे आवेदक ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14. 03. 2018 को क्रय कर लिया इस प्रकार कमल का विवादित भूमि में 1/8 हिस्सा था जिसे आवेदक ने क्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया इस प्रकार कमल के 1/8 हिस्से का खातेदार काशतकार आवेदक हो गया तथा खातेदार करणीराम पुत्र श्री नरसाराम का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा अर्थात 1.3350 हैक्टर भूमि थी, जिसे आवेदक ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.2019 को क्रय कर लिया, इस प्रकार करणीराम का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा था जिसे आवेदक ने क्रय कर विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया। इस प्रकार करणीराम के 1/4 हिस्से का खातेदार काशतकार आवेदक हो गया है। इस प्रकार उक्त भूमि में कुल 3/8 हिस्सा अर्थात कुल 2.0025 हैक्टर भूमि का खातेदार आवेदक है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 1.8100 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.5700 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.3400 हैक्टर व 5/8 हिस्सा बिलानाम (सिवायचक) माइनिंग लीज श्री सीमेंट लिमिटेड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश के द्वारा भूमि प्रशासन द्वारा अवाप्त कर कब्जा आवेदक को सुपुर्द किया गया है। इस प्रकार उक्त भूमि का रिकॉर्ड आवेदक के नाम से है आवेदक के अलावा अन्य किसी का कोई लेना देना हक हिस्सा नहीं है, इस भूमि से अनावेदकगण का

कोई लेना देना नहीं है ना ही कब्जा है, उक्त भूमि आवेदक की खरीदशुदा व माइनिंग लीज में अलॉटशुदा भूमि है, जिसे आवेदक विधिअनुसार कब्जा प्राप्त करके काबिज है। विवादित भूमि माइनिंग लीज की भूमि होने के कारण तथा माइनिंग गतिविधि चलने के कारण इसमें किसी को भी निर्माण कार्य करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है परन्तु अनावेदक नम्बर 1 लगायत 5 की नियत खराब हो गई है व गैरकानूनी तरीके से कब्जा करना के उद्देश्य से निर्माण कार्य करने को आमादा है तथा इन लोगो ने गैरकानूनी तरीके से विवादित भूमि में ईट पत्थर डालकर निर्माण कार्य चालू कर दिया है। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यह लोग अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गए तो आवेदक को अपार क्षति होगी। जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असम्भव होगा आवेदक को व्यर्थ की मुकदमे बाजी में फसना पड़ेगा जिसमें समय व धन की बर्बादी होगी। इसलिए अनावेदक नम्बर 1 लगायत 5 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए की विवादित भूमि पर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करे न ही अपने रिश्तेदार, नौकर, चाकर आदि से करवाये। ऐसी हालत में यह प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फ्रमाया जावे कि ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 1.8100 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.5700 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.3400 हैक्टर की भूमि में आवेदक के उपयोग उपभोग व खनन सम्बंधित कार्य में बाधा ना पहुँचाये तथा किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करने के लिए अनावेदकगण को पाबन्द किया जावे की ना तो इस भूमि में कोई निर्माण कार्य स्वयं करे, ना अपने रिश्तेदार, नौकर-चाकर आदि से करवाये।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदक संख्या 01 की ओर से वकील श्री विप्लव पंडित उपस्थित न्यायालय आये तथा आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के निवेदन कि साथ जवाब प्रार्थना पत्र बिन्दुवार इस प्रकार पेश किया कि :- ग्राम देवगाँव की सरहद में उक्त मद में दर्ज अनुसार खसरा नम्बर की भूमि स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 1.81 है० में से रकबा 0.72 है० भूमि तथा खसरा नम्बर 147 रकबा 0.57 है० में से रकबा 0.34 है० भूमि माइनिंग लिज हेतु वादी कम्पनी के यूज हेतु अधिग्रहित की गई है परन्तु आवेदक कम्पनी ने एक्वायर की गई भूमि के विपरीत सम्पूर्ण खसरा नम्बर की भूमि को गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जिसके आधार पर आवेदक कम्पनी ने उक्त गलत वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। भूमि खसरा नम्बर 123 में से रकबा 0.72 है० तथा खसरा नम्बर 147 में से रकबा 0.34 है० कम्पनी के अधिकार क्षेत्र में है उत्तरदाता ने खसरा नम्बर 147 के शेष रकबे 0.23 है० जो अधिग्रहण से बाहर है में निवास के लिए पुख्ता मकानात बना रखे है तथा सेटल पजेशन है आवेदक कम्पनी ने खसरा नम्बर 147 के रकबा 0.23 है० भूमि जो कम्पनी द्वारा प्रस्तुत नक्शे में शामिल नहीं है को भी गलत रूप से राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लिया जबकि उक्त रकबा कम्पनी के खनन हेतु आवंटन में शामिल नहीं है, को भी शामिल करके उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि उत्तरदाता सम्पूर्ण कृषि भूमि पर काबिज है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक ने उक्त मद में उत्तरदाता का कब्जा नहीं होने का कथन गलत दर्ज किया है विवादित भूमि पर कम्पनी का कब्जा नहीं है उत्तरदाता का मय परिवार कब्जा है खसरा नम्बर 147 के भाग पर उत्तरदाता ने मकानात बना रखे है भौतिक रूप से काबिज है जिसके संबंध में राजस्व कर्मचारियों की रिपोर्ट है तथा श्रीमानजी भी रिपोर्ट मंगवा सकते है आवेदक ने बिना आवंटन व बिना कब्जे के भूमि खसरा नम्बर 123 व 147 के भू-भाग जो माइनिंग लीज हेतु आवंटित नहीं है, को भी शामिल करके उक्त वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। उत्तरदाता के भूमि खसरा नम्बर 147 के भाग रकबा 0.23 है० में पुख्ता मकानात है जो पुराने समय से बने हुये है तथा खसरा नम्बर 123 का भू-भाग भी माइनिंग लीज हेतु आवंटित नहीं है उत्तरदाता अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है इसलिए कम्पनी द्वारा कब्जा होने का तथ्य भौतिक स्थिति के विपरीत है आवेदक ने बिना आवंटन व बिना अधिग्रहित की गई भूमि को शामिल करके बिना वेदखली की इस्तदुओं के कब्जा धारक के विरुद्ध उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इसलिए आवेदक का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है ना ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ना ही किसी प्रकार की क्षति आवेदक को है इसलिए आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक को उक्त वाद के लिए कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है इसलिए वादकारण के अभाव में वाद वादी खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक की प्लीडिंग के अनुसार श्रीमान न्यायालय को उक्त वाद सुनने का

श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद / प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतिरोक्तर

आवेदक की प्लीडिंग के अनुसार श्रीमान न्यायालय को उक्त वाद/प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद/प्रार्थना पत्र आवेदक खारिज होने योग्य है। आवेदक को उक्त वाद के लिए कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है इसलिए वादकारण के अभाव में वाद आवेदक खारिज होने योग्य है। विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा नहीं है बिना कब्जे के अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की जा सकती है इसलिए आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड एक कम्पनी है तथा नरेश पुत्र हरिकरण ने जरिये पॉवर ऑफ अटॉर्नी उक्त वाद पेश किया है जबकि वाद/प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी मैशन नहीं किया गया है कि कम्पनी का मालिक कौन है अथवा प्रबन्धक ट्रस्टी कौन है किसने पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नियुक्त किया जबकि कम्पनी स्वयं अपने आपके द्वारा पॉवर ऑफ अटॉर्नी होल्डर नियुक्त नहीं कर सकती है। वाद/प्रार्थना पत्रकी तस्दीक व शपथ पत्र भी कानून के अनुसार नहीं होने के कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

काउन्टर टी.आई.

राजस्व ग्राम देवगाँव की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 1.81 है०, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.50 है०, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.46 है०, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.57 है० कुल किता 4 कुल रकबा 5.34 है० स्थित है जिसमें भूमि खसरा नम्बर 123 में से रकबा 1.81 है० में से रकबा 0.72 है० तथा खसरा नम्बर 147 रकबा 0.57 है० में से रकबा 0.34 है० आवेदक कम्पनी द्वारा माईनिंग लीज हेतु अधिग्रहित किया गया है खसरा नम्बर 123 का रकबा 1.09 है०, खसरा नम्बर 147 का रकबा 0.23 है० कम्पनी द्वारा लीज हेतु सरकार के आदेशानुसार अधिग्रहण का भाग नहीं है अर्थात कम्पनी द्वारा खनन लीज हेतु नक्शा तैयार किया गया है से उक्त भाग बाहर है जिस पर अनावेदकगण भौतिक रूप से काबिज है तथा खसरा नम्बर 147 के रकबा 0.23 है० में पुराने समय से आवासीय मकानात बनाकर रह निवास कर रहे हैं अनावेदकगण का सेटल कब्जा है आवेदक ने बिनाअधिग्रहण की कार्यवाही के अर्थात बिना माईनिंग लीज के यूज हेतु छोड़े गये भाग को भी बिना आदेश के सम्पूर्ण भू-भाग को राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से गलत दर्ज करवा लिया जिसके कारण राजस्व रिकॉर्ड गलत बना हुआ है जबकि अनावेदकगण भौतिक रूप से काबिज काश्त है इसलिए राजस्व रिकॉर्ड को सही व दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है फलस्वरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जाकर भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 1.81 है० के रकबा 1.09 है० भूमि खसरा नम्बर 147 रकबा 0.57 है० के रकबा 0.23 है० भूमि में अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/5-1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तदनुसार घोषित खातेदारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावें जिसके लिए उक्त प्रतिदावा बाबत घोषणार्थ व दुरुस्ती रिकॉर्ड का सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ है।

आवेदक गलत रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्त रकबे से अनावेदकगण को बेदखल करने पर आमादा है जिसके लिए गलत रिकॉर्ड का सहारा लेकर आवेदक ने प्रशासनिक बॉडी के समक्ष बेदखल करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसका आवेदक को कानूनन कोई अधिकार नहीं है अनावेदकगण खसरा नम्बर 123 के रकबा 1.09 है० तथा खसरा नम्बर 147 के रकबा 0.23 है० पर भौतिक रूप से काबिज है तथा काश्त करके अपनी फसल को लाटते है इसलिए अनावेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी अनावेदकगण के पक्ष में है अगर अनावेदकगण को नाजायज रूप से बेदखल कर दिया गया तो अनावेदकगण को अपूर्ण क्षति होगी जिसका खामियाजा भुगतना किसी भी सूरत में संभव नहीं होगा। इसलिए आवेदक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि भूमि खसरा नम्बर 123 के रकबा 1.09 है० तथा खसरा नम्बर 147 के रकबा 0.23 है० से गलत रिकॉर्ड के आधार पर अनावेदकगण को बेदखल नहीं करें, किसी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही को अंजाम नहीं दें, शांति से काश्त करने दें, किसी प्रकार की मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें ना ही अपने कर्मचारी, नोकर, ऐजेन्ट आदि से पैदा करवायें जिसके लिए उक्त काउन्टर टी.आई. श्रीमानजी की सेवामें पेश है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर टी.आई. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें तथा अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 की काउन्टर टी.आई. स्वीकार फरमायी जाकर राजस्व ग्राम देवगाँव की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 123 रकबा 1.81 है० में से रकबा 1.09 है० तथा खसरा नम्बर 147 रकबा 0.57 है० में से रकबा 0.23 है० के संबंध में आवेदक को ताफेसला प्रतिदावा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि भूमि खसरा नम्बर 123 के रकबा 1.09 है० तथा खसरा नम्बर 147 के रकबा 0.23 है० से गलत रिकॉर्ड के आधार पर अनावेदकगण को बेदखल नहीं करें, किसी प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही को अंजाम नहीं दें, शांति से काश्त करने दें, किसी प्रकार की मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करें ना ही अपने कर्मचारी, नोकर, ऐजेन्ट आदि से पैदा करवायें रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक की ओर से पेश जबाब काउण्टर टी0आई0 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :-
काउन्टर टी. आई. की धारा 1 गलत होने से अस्वीकार है। तथापि, खसरा नं. 123 रकबा 1.81 हैक्टर, खसरा नं. 126 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नं. 146 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नं. 147 रकबा 0.57 हैक्टर, कुल किता 4. कुल रकबा 5.34 हैक्टर स्थित होना स्वीकार है। भूमि खसरा नं. 123 रकबा 1.81 हैक्टर में से आवेदक ने 1/4 हिस्सा अर्थात 0.4525 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.2019 के द्वारा क्रय किया तथा 1/8 हिस्सा अर्थात 0.2262 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2018 को क्रय किया। इस प्रकार खसरा नं. 123 में 0.6787 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा है तथा इस खसरा की शेष भूमि 1.1313 हैक्टर बाबत एक वाद अंतर्गत धारा 89, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम बिरजू आदि, राजस्व विविध संख्या 149/2021, न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, झुंझुनू के यहाँ चला था। जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.10.2021 को उक्त भूमि को खनन व खनन समनुषंगि कार्य के लिए अवाप्त करने का आदेश पारित किया था। इस प्रकार उक्त भूमि खनन कार्य के लिए अवाप्त हो चुकी है व राजस्व रिकॉर्ड में भी माइनिंग लीज श्री सीमेंट लिमिटेड दर्ज है। इस प्रकार खसरा नं. 123 का सम्पूर्ण रकबा आवेदक के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है व राजस्व रिकॉर्ड में भी यही प्रविष्टि परिलक्षित होती है तथा भूमि खसरा नं. 147 रकबा 0.57 हैक्टर में से आवेदक ने 1/4 हिस्सा अर्थात 0.1425 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.02.2019 के द्वारा क्रय किया तथा 1/8 हिस्सा अर्थात 0.0725 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.03.2018 को क्रय किया। इस प्रकार खसरा नं. 147 में 0.2137 हैक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदशुदा है तथा इस खसरा की शेष भूमि 0.3563 हैक्टर बाबत एक वाद अंतर्गत धारा 89, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम बिरजू आदि, राजस्व विविध संख्या 149/2021, न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, झुंझुनू के यहाँ चला था। जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.10.2021 को उक्त भूमि को खनन व खनन समनुषंगि कार्य के लिए अवाप्त करने का आदेश पारित किया था। इस प्रकार उक्त भूमि खनन कार्य के लिए विधिवत रूप से अवाप्त हो चुकी है व राजस्व रिकॉर्ड में भी माइनिंग लीज श्री सीमेंट लिमिटेड दर्ज है। इस प्रकार खसरा नं. 147 का सम्पूर्ण रकबा आवेदक के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी उक्त स्थिति स्पष्टतः अंकित है। इस प्रकार खसरा नं. 123, 126, 146, 147 कुल किता 4. कुल रकबा 5.34 हैक्टर की भूमि में से 2.0025 हैक्टर भूमि आवेदक द्वारा विभिन्न तिथियों के रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से विधिवत रूप से क्रयशुदा है व शेष भूमि, रकबा 3.3375 हैक्टर, बाबत एक वाद अंतर्गत धारा 89, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान श्री सीमेंट लिमिटेड बनाम बिरजू आदि, राजस्व विविध संख्या 149/2021, न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, झुंझुनू के यहाँ चला था। जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 08.10.2021 को उक्त भूमि को खनन व खननसमनुषंगि कार्य के लिए अवाप्त करने का आदेश पारित किया था। इस प्रकार उक्त भूमि खनन कार्य के लिए विधिवत रूप से अवाप्त हो चुकी है व राजस्व रिकॉर्ड में भी माइनिंग लीज श्री सीमेंट लिमिटेड दर्ज है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूमि आवेदक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रिकॉर्ड आवेदक के नाम से दर्ज चला आ रहा है। जो आवेदक के माइनिंग जोन व सेफटी जोन की भूमि है। इसलिए यह कहना गलत है की खसरा नं. 123 का रकबा 1.09 हैक्टर व खसरा नं. 147 का रकबा 0.23 हैक्टर, श्री सीमेंट लिमिटेड की खनन लीज का भाग नहीं हो। इसी प्रकार यह भी गलत है कि कंपनी द्वारा तैयार किया गया माइनिंग लीज नक्शा उपरोक्त भाग को बाहर करता हो, पूर्णतः तथ्यों के विपरीत एवं गलत है। उक्त समस्त क्षेत्र खनन कार्य हेतु एवं सेफटी जोन हेतु अनुमोदित लीज क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा है। इसलिए यह कहना कि इस भाग पर अनावेदक का कब्जा हो गलत है ना तो अनावेदक का कोई कब्जा है ना ही उसके कोई पुराने मकान है ओर ना ही वह निवास कर रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अनावेदक ने स्पष्ट रूप से कही भी अपने काउन्टर टी. आई. में दर्ज नहीं किया है कि उसका कितना हिस्सा कौनसे कानून के तहत बनता है। जब खसरा नं. 123, 126, 146, 147 की भूमि राजस्थान सरकार के खान ग्रुप 2 विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक प. 2 (113) खान / ग्रुप-2/2007 दिनांक 12/04/2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा एम. एल. नम्बर 47/2007 वास्ते खनिज लाइमस्टोन ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ में आवंटित की गई है। जिसकी लीज डीड दिनांक 18/04/2019 को उपपंजीयक कार्यालय, नवलगढ़ में विधिवत पंजीयन हुई है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में आवेदक को वैधानिक रूप से आधिपत्य, स्वामित्व, वैध कब्जा प्राप्त है तथा राजस्व अभिलेखों में प्रविष्ट

अधिकार आवेदक के नाम से ही दर्ज है। इस प्रकार जब उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा खनन के लिए आवंटित, अधिग्रहित व आवेदक द्वारा क्रय की गई तथा राजस्व अभिलेख में विधिपूर्वक दर्ज है। इसलिए ना तो अनावेदक का कोई हिस्सा है ना ही कब्जा है ना ही भूमिकाशत की भूमि है। इसलिए अनावेदक को खातेदार काशतकार घोषित किये जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए काउन्टर टी. आई. खारिज होने योग्य है।

काउन्टर टी. आई की धारा 2 गलत होने से अस्वीकार है। जब अनावेदक का कोई वैधानिक कब्जा है ही नहीं तो, उसे बेदखल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। यह भी गलत है कि प्रशासनिक बॉडी बेदखल करने को आमादा है। यह भी गलत है कि खसरा नं. 123 रकबा 1.09 हैक्टर व खसरा नं. 147 रकबा 0.23 हैक्टर अनावेदक का कब्जा हो। यह भी गलत है कि अनावेदक फसल काशत करते हो व लाटते हो। अनावेदक का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है, ना ही सुविधा का संतुलन अनावेदक के पक्ष में है। जब अनावेदक का कब्जा ही नहीं है, ना ही राजस्व रिकॉर्ड अनावेदक के नाम पर है, तो उन्हें बेदखल करने व अपूर्ण्य क्षति होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब उक्त भूमि आवेदक द्वारा विधिपूर्वक पंजीकृत विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय की गई है एवं राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टा के रूप में विधिवत रूप से आवंटित की गई है तथा धारा 89, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय के आदेश से अधिग्रहित की गई है, जिसका विधिवत अभिलेख राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक के नाम पर प्रविष्ट है। तब अनावेदक के किसी प्रकार के स्वामित्व, कब्जे या अधिकार का काउन्टर टी. आई. पूर्णतः आधारहीन एवं असंगत है। जब तक अनावेदक सक्षम न्यायालय से आवेदक के विक्रय पत्रों को निरस्त नहीं करवा लेता एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त आवंटन तथा अधिग्रहण आदेश को विधिपूर्वक निष्प्रभावी घोषित नहीं करवा लेता, तब तक अनावेदक अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों एवं विधिक आधारों पर जबाबुल जबाब मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है की आवेदक द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अनावेदक का काउन्टर टी. आई. खारिज करने की कृपा करे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील उभय पक्ष ताफैसला दावा उभय पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने पर सहमत है। अतः प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तथा अनावेदक सं० 1 की ओर से पेश का० टी०आई० को स्वीकार किया जाकर उभय पक्षों को विवादग्रस्त भूमि के संबंध में ताफैसला दावा विवादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा तथा का० टी० आई० स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को राजस्व ग्राम देवगांव तहसील नवलगढ़ की तन में भूमि खसरा नम्बर 123 रकबा 1.8100 हैक्टर, खसरा नम्बर 126 रकबा 1.5000 हैक्टर, खसरा नम्बर 146 रकबा 1.4600 हैक्टर, खसरा नम्बर 147 रकबा 0.5700 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 5.3400 हैक्टर भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा अंतरिम आदेश दिनांक 21.12.2023 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो मूल वाद के संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी) कानूनपालक
सहायक कलक्टर एवं कर्जापाक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रैक) नवलगढ़